न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
राजकुमार बनाम बद्रीलाल
GCMS No- 2024/335
प्रकरण संख्या 90 / 2024

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 90 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 335

1. श्री राज कुमार पिता श्री उंकारलाल जी कुम्हार निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०
2. श्री प्रभुलाल पिता श्री उंकारलाल जी कुम्हार निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०
3. श्री भगवती लाल पिता श्री उंकारलाल जी कुम्हार निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०
4. शारदा बाई बेवा उंकारलाल जी कुम्हार निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०
5. रामलाल माता मांगी बाई पिता मोतीलाल जी कुम्हार निवासी गांधी नगर चित्तौडगढ राज०
6. मु० शांति बाई पुत्री रूपा जी पत्नी वंशीलाल जी जी कुम्हार निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०

प्रार्थीगण

वनाम

1. श्री बद्रीलाल पिता रूपा जी कुम्हार निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०
2. श्री बालूलाल पिता रूपा जी कुम्हार निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज०

...विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – प्रार्थीगण स्वंय
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 01.10.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम [illegible] प्रार्थीगण एवं विपक्षी क0 1 व 2 की पुश्तैनी संयुक्त स्वामित्व [illegible] की आराजीयात वाके मोजा करथाना प०ह० बडौलीघाट [illegible] 268 व आराजी न0 384 रकबा 0.6400 हेक्टयर स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:02 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण एवं विपक्षी क० 1 व 2 के पिता दादा [illegible] नाना रूपा पिता हेमा जी कुम्हार निवासी निम्बाहेडा ने रजिस्टर्ड विकय पत्र से उक्त भूमि जिसके पूराने आराजी न0 270 रकबा 2 विघा 11 बिस्वा को रामा पिता प्यारा कुमावत निवासी निम्बाहेडा से

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

कय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका विधिवत नामांतरण स० 52 रूपा पिता हेमा कुम्हार निवासी निम्बाहेडा के नाम खुला जिसका जमाबन्दी संवत 2011 से 2014 पर खाता स० 13 पर अंकन हुआ परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से जमाबन्दी रोटेशन में रूपा पिता हेमा कुम्हार को रूपा पिता हेमा कुमावत के रूप गलत रूप से दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण के पिता दादा व नाना व प्रार्थीगण की जाति कुम्हार है जिसको राजस्व कर्मचारियों की गलती वजह से जाति कुम्हार के बजाय जाति कुमावत दर्ज कर दिया है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ है। रूपा पिता हेमा कुम्हार का देहान्त हो गया है। रूपा जी के वैध उत्तराधिकरी उनके तीन पुत्र बद्रीलाल, बालूलाल, उंकारलाल व दो पुत्रीया मांगीबाई व शांति बाई हुई उंकार लाल जी का देहान्त हो गया है जिनके वैध उत्तराधिकारी प्रार्थीगण क० 1 से 4 है तथा मांगीबाई को देहान्त हो गया है जिनका उत्तराधिकारी प्रार्थीगण क0 5 व प्रार्थी क० 6 शांति बाई उनकी पुत्री है तथा विपक्षी क० 1 व 2 उनके पुत्र है। इसलिए प्रार्थीगण के पिता दादा व नाना की जाति कुमावत के बजाय कुम्हार के रूप राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर अंकन दुरूस्त किया जाना न्यायहीत में आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पिता दादा व नाना की जाति कुमावत के बजाय कुम्हार के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर अंकन दुरूस्त किया जाकर रूपा पिता हेमा कुमावत के बजाये रूपा पिता हेमा कुम्हार के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त करने की कृपा करें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी संख्या 1,2 बावजुद सूचना अपुनरिथत होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:–

ग्राम करथाना पटवार हल्का बडौलीघाटा की हाल आराजी नम्बर 384 रकबा 0.64 हैक्टेयर के गत आराजी नम्बर 270 रकबा बिघा 11 बिस्वा होकर मिलान क्षैत्रफल प्रति संलग्न है। वर्तमान में रूपा पिता हेमा कुमावत सा निम्बाहेडा के नाम दर्ज है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 मे दरामद हुआ है। इससे आगे के दो राटेशन की जमाबन्दी तहसील रेकार्ड में पढने योग्य नहीं होकर जमाबन्दी रोटेशन संख्या 2032–2035 एवं इससे बाद के सभी जमाबन्दी रेकार्ड में रूपा पिता हेमा कुमावत सा0 निम्बाहेडा दर्ज है।

खातेदार रूपा हाल आराजी नम्बर 384 के वारिसान(वादी) जाति से कुमार होकर प्रमाण पत्र पेश है तथा खाता पास बुक जमाबन्दी सम्वत 2021–2024 व ना0स0 52 में जाति कुम्हार होना अंकन होकर सहवन से कुम्हार से कुमावत होना जॉच में जाहिर आया है। अतः हाल आराजी नम्बर 384 के खातेदार रूपा की जाति कुमावत से कुम्हार दर्ज किया जाना उचित है।

3. दोनों पक्षों के अभिवचनों के [illegible] का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों [illegible] र निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्र[illegible] प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:02 IST
Reason: SelfAttested

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्[illegible] भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the

उपखण्ड अधिकारी।

Scanned by CamScanner

prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वर्तमान में रूपा पिता हेमा कुमावत सा निम्बाहेडा के नाम दर्ज है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 मे अमल दरामद हुआ है। इससे आगे के दो राटेशन की जमाबन्दी तहसील रेकार्ड में पढने योग्य नहीं होकर जमाबन्दी रोटेशन संख्या 2032–2035 एवं इससे बाद के सभी जमाबन्दी रेकार्ड में रूपा पिता हेमा कुमावत सा0 निम्बाहेडा दर्ज है जिसे इंद्राज दुरूस्त कर जाति कुमावत के बजाय कुम्हार के रूप राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम करथाना पटवार हल्का बडौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 384 रकबा 0.6400 हैक्टेयर भूमि में रूपा पिता हेमा जाति कुमावत सा0 निम्बाहेडा के बजाए रूपा पिता हेमा जाति कुम्हार सा0 निम्बाहेडा किए जाने का ओदश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

निर्णय आज दिनांक [illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:02 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner